

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जो कि किसी अध्ययनाधिकारी के नाम से।
अम्बविष्ट विषय पर यदि पूर्त में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य निम्न जारी किससे उपर्या हो।



ग्रन्थालय
दूरभाष : 0091-0751 2442801
(ग्वालियर)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwalli.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/44485

दिनांक : 30/11/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया महाविद्यालय, अङ्गोखर, भिण्ड को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (सिन्ध विज्ञान, आ.पा.), एम.ए. समाजशास्त्र पाठ्यक्रम के लिये अस्थार्ड सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. एम.ए. समाजशास्त्र हेतु स्तरीय शोध जर्बल्स मंगाने की व्यवस्था करे।

आदेशानुसार
3/मी/3
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया महाविद्यालय, अङ्गोखर, भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर दूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए तो
कि किसी अन्य प्राविकारी के नाम से।
राज्यविधि विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं विवाक
अवश्य लिखा जाए जिसे संविधा हो।



द्वारा : गूँडीविलिंग
दूरध्वाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829.
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५/०८

दिनांक: १३/७/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्रीमंत विजयराजे रिंधिया महाविद्यालय, अडोखर, बिंण (09753199776) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (सैन्य विज्ञान, आ.पा.), एम.ए. समाजशास्त्र पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. आई.बी. सिंह, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (2) डॉ. आर.एस. भद्रौरिया, शासकीय कॉलेज, डबरा।
- (3) डॉ. के. रत्नेश, शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, कृषि परिसर इंवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के भारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ ऑफिक्ट करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना एवं प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से उम्मक्ष स्थापेत कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक द्वारा निरीक्षण के तहत उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के काद निरीक्षण में की गई देही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह ने निरीक्षण बही कहता है तो समिति रवत: निरस्त हो जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वज्ञाव किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्रा वे लागैरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुत्यागति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / डी.ए. / ग्रामदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अंदर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)